

~~पुस्तक...~~
8-12-22 पणवली पेशदुष्टी अभयपक्ष के वकील उपस्थित।
चूंकि उक्त राजस्व वाद एवं राजस्व वाद सं. 24/20



अज अदालत उपखण्ड अधिकारी

मुकाम-रूपनगाढ जिला अजमेर

वालराम


बनाम

कालराम

किस्म मुकदमा :- 53,188A-T Act

नंबर 39.. वर्ष 2020

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंतर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	<p>को समावेशन (Consolidate) करने के आदेश दिये जा चुके हैं। अतः उक्त राजस्व वाद को राजस्व वाद सं. 24/2020 के साथ संलग्न करने के आदेश दिये जाते हैं।</p>	


 उपखण्ड अधिकारी
 रूपनगाढ (अजमेर)